



जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद
भवन निर्माण/फ्लैट/भवन क्रय एवं मरम्मत हेतु
ऋण-आवेदन पत्र

शाखा का नाम :

खाता संख्या :

पत्रावली संख्या :

ऋणी का नाम व :

फोन नम्बर :

गारन्टरों के नाम :

.....

कार्यरत संस्था/विभाग का नाम :

ऋण की धनराशि :

मासिक किस्त की धनराशि :

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

(बैंक ऋण से फ्लैट खरीदने हेतु आवेदन पत्र)

सेवा में,
शाखा प्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद
शाखा.....

आवेदक का
शाखा प्रबंधक
द्वारा प्रमाणित
फोटो

महोदय,

मैं/हम, आपकी बैंक से अंकन (शब्दों में रु.....) ऋण लेकर प्राधिकृत कॉलोनी में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ/चाहते हैं। ऋण से क्रय किया गया फ्लैट आपके पक्ष में रहन (lien) रहेगा। स्वीकृत ऋण की अदायगी..... माह की मासिक किस्तों में करने के इच्छुक हूँ/हैं। स्वीकृत ऋण एवं बैंक ब्याज दर के परिप्रेक्ष्य में जो मासिक किस्त निर्धारित की जायेगी, वह मुझे/हमें मान्य हैं। फ्लैट खरीदने हेतु ऋण के वास्ते मैं/हम निम्न सूचनायें आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :-

	आवेदक	सह- आवेदक
1. पूरा नाम	:.....
2. पिता/पति का नाम	:.....
3. जन्म तिथि	:.....
4. आवेदन के दिनांक को आवेदक की आयु	:.....
5. वैवाहिक स्थिति	:.....
6. आश्रितों की संख्या	:.....
7. स्थायी पता (पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	:.....
	:.....
	:.....
	:.....
8. पत्राचार / वर्तमान पता (पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	:.....
	:.....
	:.....
9. शैक्षिक योग्यता	:.....

10. यदि आवेदक किसी विभाग में कर्मचारी/अधिकारी है तो

(i) वर्तमान तैनाती स्थान का पता :.....

:.....

:.....

(ii) पद :.....

(iii) आयकर पै नं० :.....

(प्रति संलग्न करें)

(iv) सेवायोजक का पद नाम :.....

:.....

(v) सेवायोजक का पता :.....

:.....

:.....

(vi) अद्यतन माह

के अनुसार मासिक कुल :.....

परिलब्धियां

(vii) मासिक कुल कटौतियों :.....

(viii) भुगतान (vi-vii) :.....

(ix) अन्य आय, यदि कोई है :.....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. यदि आवेदक व्यवसायी है तो :-

(i) व्यवसाय का नाम :.....

(ii) कार्य स्थल का पता :.....

:.....

:.....

:.....

(iii) आयकर पै नं० :.....

(प्रति संलग्न करें)

(iv) विगत तीन वर्ष के

आयकर रिटर्न के अनुसार-

वर्ष	आय	आयकर	आय	आयकर
:.....
:.....
:.....

:.....

:.....

:.....

12. आवेदक/सह-आवेदक के:

स्वामित्व में (क) अचल सम्पत्ति :

का विवरण:- :

(ख) उक्त सम्पत्ति का मूल्य :

13. आवेदक/सह-आवेदक :

के द्वारा लिये गये ऋण की राशि :

(क) इस बैंक से :

(ख) अन्य बैंक/संस्था से :

14. बैंक ऋण से फ्लैट खरीदे जाने/बैंक में रहन रखे जाने वाले फ्लैट का विवरण:-

(i). फ्लैट किस एजेन्सी द्वारा विकसित किया गया

(ii). फ्लैट प्राधिकृत बस्ती में है अथवा अप्राधिकृत बस्ती में

(iii). फ्लैट का पूरा पता

(iv). फ्लैट बेचने वाले का पूरा नाम

पता

(v). फ्लैट का क्षेत्रफल

(शब्दों में.....)

(vi). फ्लैट का सीमा विवरण-(नक्शा संलग्न करें)

पूर्व में..... पश्चिम में.....

उत्तर में..... दक्षिण में.....

(vii). फ्लैट के ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रति संलग्न करें

(viii). फ्लैट फ्री होल्ड है अथवा लीज होल्ड

(ix). फ्लैट का मूल्य (प्राधिकृत मूल्यांकन के अनुसार)

(शब्दों में.....)

(x). फ्लैट का वर्तमान बाजार मूल्य

(xi). टाइटिल डीड/ बैनामा के अनुसार पूर्ववत

रजिस्ट्री संख्या एवं दिनांक

(xii). यदि फ्लैट पैत्रिक है तो सभी भाई-बहिनों

हिस्सेदारों के नाम अथवा यदि बटवारा हुआ

है तो प्रति संलग्न करें।

(xiii). यदि उपरोक्त सम्पत्ति कहीं रहन रखी है तो विवरण अंकित करें।

.....

.....

15. प्रस्तावित गारंटरो का विवरण:-

- (क) (i). नाम :.....
- (ii). पिता/पति का नाम :.....
- (iii). वर्तमान पता :.....
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें) :.....
- (iv). स्थाई पता :.....
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें) :.....
- (v). हस्ताक्षर :.....
- (ख) (i). नाम :.....
- (ii). पिता/पति का नाम :.....
- (iii). वर्तमान पता :.....
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें) :.....
- (iv). स्थाई पता :.....
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें) :.....
- (v). हस्ताक्षर :.....

16. यदि पूर्व में प्लॉट रजिस्ट्रेशन मनी /प्लॉट के लिए बैंक से ऋण लिया है तो:-

- (i). योजना का नाम.....
- (ii). भूखण्ड का क्षेत्रफल.....
- (iii). ऋण स्वीकृत कराई गयी धनराशि.....
- (iv). ऋण स्वीकृति का दिनांक.....

17. फ्लैट ऋण हेतु शिडयूल (प्लान) संलग्न करें

- :.....
- :.....

उपरोक्त विवरण को आवश्यक संलग्नों के साथ उपलब्ध कराते हुए मैं/हम निम्न घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

- ऊपर दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्नों में दी गई सूचनायें सत्य एवं सही हैं ।
- मैं / हम, किसी बैंक/संस्था का बकायेदार नहीं हूँ / हैं और न ही मेरे/ हमारे विरुद्ध) कोई विभागीय अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

1. भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक/शीर्ष बैंक/बैंक द्वारा जो भी समय-समय पर ब्याज दरें एवं बैंक नियम लागू किये जायेंगे, वे मुझे/हमें मान्य होंगे ।
2. यदि मेरे/हमारे द्वारा स्थानीय पता में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त आपके कार्यालय को हस्तगत कराई जायेगी ।
3. ऋण से सृजित सम्पत्ति (फ्लैट) पर प्रथम प्रभार बैंक का होगा ।
4. आवेदित फ्लैट ऋण की ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी हेतु मैंने/हमने अपने सेवायोजक/आहरण वितरण अधिकारी को अधिकृत कर दिया है । सेवायोजक मेरे/हमारे वेतन, ग्रेच्युटी, प्रोवीडेन्ट फण्ड, अवकाश नकदीकरण, बीमा क्लेम आदि से ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क आदि की अदायगी हेतु अधिकृत हैं ।
5. मैं/हम, बैंक द्वारा निर्धारित किस्त की धनराशि अपने वेतन से कटौती कराकर, नियमित रूप से बैंक को भेजता रहूँगा/रहेंगे । यदि किन्हीं कारणों से वेतन से कटौती नहीं हो पाती है तो निर्धारित धनराशि कैश के रूप में बैंक शाखा में जमा करा दूँगा/देंगे । यदि मेरे/हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक, 30 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, 30 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एवं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न सुसंगत धाराओं/प्राविधानों के अन्दर कार्यवाही करते हुए मेरी/हमारी चल-अचल सम्पत्ति से ऋण की ब्याज सहित वसूली कर लें ।
6. यदि मेरा/हमारा स्थानान्तरण वर्तमान तैनाती स्थान से अन्यत्र हो जाता है तो मैं/हम नव नियुक्त तैनाती स्थान से निर्धारित मासिक कटौती कराकर, समयान्तर्गत, मासिक रूप से ऋण की मासिक किस्त, ऋण की ब्याज सहित ऋण अदायगी तक, आपकी शाखा को भिजवाता रहूँगा/रहेंगे ।
संलग्न- अन्य समस्त सम्बंधित अभिलेख ।

गवाह के हस्ताक्षर	आवेदक के ह०	सह आवेदक के ह०
नाम.....	नाम.....	नाम.....
पिता/पति	पिता/पति	पिता/पति
का नाम.....	का नाम.....	का नाम.....
पद.....	पद.....	पद.....
पता.....	पता.....	पता.....
.....

आवेदनकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर प्रमाणित ।

हस्ताक्षर शाखा प्रबंधक
जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद
शाखा.....

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

(भवन निर्माण ऋण हेतु आवेदन पत्र)

सेवा में,
शाखा प्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद
शाखा.....

आवेदक का
शाखा प्रबंधक
द्वारा प्रमाणित
फोटो

महोदय,

मेरे/हमारे नाम से प्राधिकृत कॉलोनी में एक प्लॉट है। मैं/हम, आपकी बैंक से अंकन
(शब्दों में रु.....) आवासीय ऋण लेकर उस प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण करना चाहता हूँ/चाहते हैं। भवन निर्माण हेतु ले-आउट प्लान अधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। आपके ऋण से सृजित भवन एवं जिस प्लॉट पर भवन निर्माण प्रस्तावित है, पर प्रथम प्रभार बैंक का होगा एवं यह सम्पत्ति आपके पक्ष में रहन (lien) रहेगी। स्वीकृत ऋण की अदायगीमाह की मासिक किस्तों में करने का इच्छुक हूँ/हैं। स्वीकृत ऋण एवं ब्याज दर के परिप्रेक्ष्य में जो मासिक किस्त निर्धारित की जायेगी, वह मुझे/हमें मान्य हैं। आवास ऋण हेतु मैं/हम, निम्न सूचनायें आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :-

	आवेदक	सह- आवेदक
1. पूरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि
4. आवेदन के दिनांक को आवेदक की आयु
5. वैवाहिक स्थिति
6. आश्रितों की संख्या
7. स्थायी पता (पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

8. पत्राचार / वर्तमान पता (पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

9. शैक्षिक योग्यता

10. यदि आवेदक किसी विभाग में कर्मचारी/अधिकारी है तो

(i) वर्तमान तैनाती स्थान का पता :.....

:.....

:.....

(ii) पद :.....

(iii) आयकर पैन नं० :.....

(प्रति संलग्न करें)

(iv) सेवायोजक का पद नाम :.....

:.....

(v) सेवायोजक का पता :.....

:.....

:.....

(vi) अद्यतन माह

के अनुसार मासिक कुल :.....

परिलब्धियां

(vii) मासिक कुल कटौतियाँ :.....

(viii) शुद्ध भुगतान (vi-vii) :.....

(ix) अन्य आय, यदि कोई है :.....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. यदि आवेदक व्यवसायी है तो :-

(i) व्यवसाय का नाम :.....

(ii) कार्य स्थल का पता :.....

:.....

:.....

:.....

(iii) आयकर पैन नं० :.....

(प्रति संलग्न करें)

(iv) विगत तीन वर्ष के

आयकर रिटर्न के अनुसार-

वर्ष	आय	आयकर	आय	आयकर
.....
.....
.....

:.....

:.....

:.....

12. आवेदक/सह-आवेदक के:

- स्वामित्व में (क) अचल सम्पत्ति :
- का विवरण:- :
- (ख) उक्त सम्पत्ति का मूल्य :

13. आवेदक/सह-आवेदक के :

- के द्वारा लिये गये ऋण की राशि :
- (क) इस बैंक से :
- (ख) अन्य बैंक/संस्था से :

14. बैंक से आवसीय ऋण लेकर भवन निर्माण एवं बैंक में रहन रखे जाने वाले प्लॉट एवं ऋण से निर्मित भवन का विवरण :-

- (i). प्लॉट किस एजेन्सी द्वारा विकसित किया गया
- (ii). प्लॉट प्राधिकृत बस्ती में है अथवा अप्राधिकृत बस्ती में
- (iii). प्लॉट स्वामी का पूरा पता
- (iv). प्लॉट बेचने वाले का पूरा नाम
- पता
-
- (v). प्लॉट का क्षेत्रफल
- (शब्दों में.....)
- (vi). प्लॉट का सीमा विवरण-(नक्शा संलग्न करें)
- पूर्व में..... पश्चिम में.....
- उत्तर में..... दक्षिण में.....
- (vii). स्वीकृत भवन के ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रति संलग्न करें
- (viii). आर्टिफैक्ट द्वारा भवन निर्माण हेतु एस्टीमेटिड धनराशि
- (एस्टीमेट संलग्न करें)
- (ix). प्लॉट फ्रीहोल्ड है अथवा लीज होल्ड
- (x) प्लॉट का मूल्य (प्राधिकृत मूल्यांकन/ सर्किल रेट के अनुसार)
- (शब्दों में.....)
- (xi) प्लॉट का वर्तमान बाजार मूल्य
- (xii) टाइटिल डीड/ बैनामा के अनुसार
- रजिस्ट्री संख्या एवं दिनांक
- (xiii). यदि उपरोक्त सम्पत्ति कहीं रहन रखी है तो विवरण अंकित करें।
-
-

15. प्रस्तावित गारंटरोँ का विवरण:-

- (क)(i). नाम
(ii). पिता/पति का नाम
(iii). वर्तमान पता
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)
(iv). स्थाई पता
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)
(v). हस्ताक्षर
(ख)(i). नाम
(ii). पिता/पति का नाम
(iii). वर्तमान पता
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)
(iv). स्थाई पता
(प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें)
(v). हस्ताक्षर

16. यदि प्लॉट रजिस्ट्रेशन मनी / प्लॉट के लिए बैंक से ऋण लिया है तो:-

- (i). योजना का नाम.....
(ii). प्लॉट का पता
(iii) भूखण्ड का क्षेत्रफल
(iv). ऋण स्वीकृत कराई गयी धनराशि
(v). ऋण स्वीकृति का दिनांक

उपरोक्त विवरण को आवश्यक संलग्नों के साथ उपलब्ध कराते हुए मैं/हम निम्न घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

- ऊपर दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्नों में दी गई सूचनायें सत्य एवं सही हैं ।
- मैं / हम, किसी बैंक/संस्था का बकायेदार नहीं हूँ / हैं और न ही मेरे/ हमारे विरुद्ध) कोई विभागीय अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

3. भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/निबन्धक/शीर्ष बैंक/बैंक द्वारा जो भी समय-समय पर ब्याज दरें एवं बैंक नियम लागू किये जायेंगे, वे मुझे/हमें मान्य होंगे ।
4. यदि मेरे/हमारे द्वारा स्थानीय पता में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त आपके कार्यालय को हस्तगत कराई जायेगी ।
5. ऋण से सृजित सम्पत्ति (प्लाट एवं भवन) पर प्रथम प्रभार बैंक का होगा ।
6. आवेदित भवन ऋण की ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी हेतु मैंने/हमने अपने सेवायोजक/आहरण वितरण अधिकारी को अधिकृत कर दिया है । सेवायोजक मेरे/हमारे वेतन, ग्रेच्यूटी, प्रोवीडेन्ट फण्ड, अवकाश नकदीकरण, बीमा क्लेम आदि से ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क आदि की अदायगी हेतु अधिकृत हैं ।
7. मैं/हम, बैंक द्वारा निर्धारित किस्त की धनराशि अपने वेतन से कटौती कराकर, नियमित रूप से बैंक को भेजता रहूँगा/रहेंगे । यदि किन्हीं कारणों से वेतन से कटौती नहीं हो पाती है तो निर्धारित धनराशि कैश के रूप में बैंक शाखा में जमा करा दूँगा/देंगे । यदि मेरे/हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो बैंक, 30 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, 30 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 एवं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न सुसंगत धाराओं/प्राविधानों के अन्दर कार्यवाही करते हुए मेरी/हमारी चल-अचल सम्पत्ति से ऋण की ब्याज सहित वसूली कर लें ।
8. यदि मेरा/हमारा स्थानान्तरण वर्तमान तैनाती स्थान से अन्यत्र हो जाता है तो मैं/हम नव नियुक्त तैनाती स्थान से निर्धारित मासिक कटौती कराकर, समयान्तर्गत, मासिक रूप से ऋण की मासिक किस्त, ऋण की ब्याज सहित ऋण अदायगी तक, आपकी शाखा को भिजवाता रहूँगा/रहेंगे ।
संलग्न- अन्य समस्त सम्बंधित अभिलेख ।

गवाह के हस्ताक्षर	आवेदक के ह०	सह आवेदक के ह०
नाम.....	नाम.....	नाम.....
पिता/पति	पिता/पति	पिता/पति
का नाम.....	का नाम.....	का नाम.....
पद.....	पद.....	पद.....
पता.....	पता.....	पता.....
.....

आवेदनकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर प्रमाणित ।

हस्ताक्षर शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

शाखा.....

शाखा कार्यालय जिला सहकारी बैंक लि.

भ्रमण नोट

1 ऋणी/मोरगेजर का नाम

पता.....

.....

.....

2. भ्रमण का उद्देश्य (टाइटिल की मूल प्रति बैंक शाखा में जमाकर इसको प्रतिभूति के रूप में रखकर बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ऋणी/ मोरगेजर द्वारा अपनी हस्तलिपि में शाखा आने का उद्देश्य इंगित / अंकित किया जायेगा।)

दिनांक.....

मोरगेजर/बंधककर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

(सम्पत्त का विवरण)

के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। बैंक बंधक करार अंकन.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

सेवा में,
शाखा प्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद
शाखा.....

विषय:- प्लॉट/फ्लैट/आवासीय भवन निर्माण हेतु ऋण के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी आपके बैंक से प्लॉट/फ्लैट/भवन निर्माण हेतु, ऋण अंकन..... (शब्दों में)..... लेना चाहता हूँ/चाहते हैं। इसके बदले में प्रार्थी/अधोहस्ताक्षरी निम्न विवरण के अनुसार उल्लिखित कोलेटरल सिक्क्योरिटी को आपके पक्ष में सामसिक बंधक कराकर, ऋण लेना चाहता हूँ/चाहते हैं। बैंक से ऋण लेकर आवासीय भवन निर्माण की दशा में भवन के साथ-साथ प्लॉट भी साम्यिक बंधक के रूप में रहेगा। उपरोक्त हेतु प्रार्थी निम्न लिखित अभिलेख आपकी शाखा में जमा कर रहा है/रहे हैं।

1. मूलटाइ टिल डीड:- (प्लॉट/फ्लैट नं०)..... गली नं०.....
मोहल्ला/ कालोनी का नाम..... शहर.....
जिला..... ।

यह सम्पत्ति सब रजिस्ट्रार कार्यालय..... में दिनांक.....
को वही सं०..... जिल्द सं०..... पृष्ठ सं०..... से.....
तक पर क्रमांक पर रजिस्ट्रीकृत है।

2. अधोहस्ताक्षरी का शपथ पत्र ।

3. श्री अधिवक्ता द्वारा निर्गत नॉनइनकम्बरेड रिपोर्ट ।

4. निबन्धक कार्यालय द्वारा निर्गत निरीक्षण आख्या की रसीद ।

कृपया उपरोक्त अभिलेखों की प्राप्ति स्वरूप पावती देने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त ।

दिनांक:.....

प्रार्थी

श्री.....
पुत्र श्री.....
पता.....
.....

शाखा कार्यालय, जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा.....

पत्रांक मु०का०/वि०अन०

दिनांक.....

श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पत्नी.....

निवासी.....

.....

.....

प्रिय महोदय,

आपके द्वारा दिनांक को शाखा का भ्रमण कर प्लाट / फ्लैट / भवन निर्माण, के लिए ऋण लेने हेतु शाखा से सम्पर्क किया गया एवं..... (सम्पत्ति का विवरण) कोलेरटरल सिक्योरिटी के रूप में प्रस्तुत कर इसका साम्यिक बंधक कराकर अंकन (शब्दों में)..... रु० की प्लाट/फ्लैट/भवन निर्माण हेतु ऋण की मांग की। उक्त आवासीय सम्पत्ति की मूल टाइटिल डीड के साथ-साथ आपका विषय संदर्भ में शपथ पत्र, श्री अधिवक्ता द्वारा निर्गत भारमुक्तता प्रमाण पत्र एवं निबन्धक कार्यालय द्वारा निर्गत निरीक्षण की रसीद भी प्राप्त हो चुकी है। कृपया सूचित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि०,

गाजियाबाद

शाखा.....

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

आवेदक द्वारा नियोक्ता/आहरण वितरण अधिकारी के पक्ष में वेतन/अन्य आस्तियों से मासिक कटौती/ऋण अदायगी के सम्बन्ध में अधिकार पत्र:-

मैं पुत्र / पत्नी श्री
 पता
 अपने नियोक्ता
 जिनके सेवानियोजन में, मैं, विभाग में
 के पद पर कार्यरत हूँ, को यह अधिकार देता हूँ कि, वह मेरे वेतन से अंकन
 (शब्दों में) जिला सहकारी बैंक लि०,
 गाजियाबाद शाखा से प्लॉट खरीदने/फ्लैट खरीदने/आवास निर्माण हेतु लिये
 गये ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु, मेरे वेतन से अंकन (शब्दों में
) मासिक रूप से कटौती करते हुए, पूर्ण ऋण अदायगी
 तक, जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा को भेजते
 रहें ।

1- यदि किन्हीं कारणों से, जिसमें मृत्यु, त्याग पत्र, सेवाच्युति आदि सम्मिलित हैं, के कारण मुझे अपनी सेवा छोड़नी पड़ती है तो मैं, अपने नियोक्ता को इस कार्यवाही के लिए अधिकृत करता हूँ कि वह बैंक के अवशेष ऋण की अदायगी मेरे बोनस, ग्रेच्युटी, पी०एफ०, बीमा क्लेम, उपार्जित अवकाश आदि से एकमुस्त वसूली करते हुए बैंक में जमा करा दें ।

2- मैं, वर्तमान नियोक्ता के साथ-साथ, आगामी नियोक्ता को भी इस कार्यवाही के लिए अधिकृत करता हूँ कि वह उक्त बैंक से लिये गये अवशेष ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु क्र०सं० 1 के अनुसार मेरे वेतन/अन्य अस्तियों से कटौती कर उक्त बैंक में जमा कर दें ।

3- मैंने, बैंक से प्लॉट खरीदने/फ्लैट खरीदने/आवास निर्माण हेतु लिये गये ऋण की ब्याज सहित अदायगी हेतु उपरोक्त अधिकार पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 40 (1) के अन्तर्गत नियोक्ता को प्रदान किया है ।

4- मैंने उपरोक्त अधिकार पत्र के मर्म को पूर्ण रूप से समझ लिया है एवं प्लॉट खरीदने/फ्लैट खरीदने/आवास निर्माण हेतु लिये गये ऋण के संदर्भ में पूर्ण स्वेच्छ एवं बिना किसी दबाव के नियोक्ता के पक्ष में उपरोक्तानुसार निष्पादित किया है ।

दिनांक:

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

पद.....

संस्था/विभाग का नाम.....

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

नियोक्ता द्वारा जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद के पक्ष में निष्पादित मैमोरम ऑफ अण्डरटेकिंग

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०पुत्र/पत्नी/
पति श्री निवासी

(विभाग का नाम,) में
पद पर स्थायी रूप से कार्यरत है। इनके विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही न तो चल रही और न ही प्रस्तावित है। इनको प्लॉट खरीदने/फ्लैट खरीदने/भवन निर्माण हेतु अंकन (शब्दों में)। ऋण दिये जाने की संस्तुति की जाती है। विभागीय अभिलेखों के अनुसार इनकी सेवानिवृत्ति तिथि है। माह..... के अनुसार इनकी मासिक परिलब्धियों एवं कटौतियों का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रुपये में)

क. मूलवेतन

ख. मंहगाई भत्ता

ग. अन्य भत्ते

कुल परिलब्धियाँ

कुल कटौतियाँ

कुल शुद्ध देय

कुल शुद्ध देय (शब्दों में)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री को जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा द्वारा दिये जाने वाले प्लॉट खरीदने/फ्लैट खरीदने/भवन निर्माण हेतु दिये जाने वाले ऋण अंकन..... (शब्दों में)

की निर्धारित किस्त की प्रतिमाह कटौती कर 30 प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 40 (1, 2, 3) के अन्तर्गत 7 दिन के अन्दर प्रतिमाह बैंक शाखा में जमा की जाती रहेगी। यह कटौती बैंक के ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी तक जारी रहेगी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी/अधिकारी के पदच्युति, त्यागपत्र, निलम्बन, सेवा निवृत्त, मृत्यु, ट्रान्सफर आदि की स्थिति में उसके पीएफ, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य अस्तियों में से बैंक के ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित अदायगी एक मुस्त की जायेगी। ऋण की ब्याज सहित पूर्ण अदायगी के लिए, अद्योहस्ताक्षरी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण की स्थिति में उसके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र पर ऋण एवं ऋण की मासिक कटौती के संदर्भ में उल्लेख अंकित किया जायेगा। बैंक से नोड्यूल प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में ही मासिक कटौती रोकੀ जायेगी एवं कर्मचारी को उसके देयको का भुगतान किया जायेगा।

दिनांक:.....

नियोक्ता के हस्ताक्षर

पदनाम.....

पता.....

ऑफिस मोहर

नियोक्ता के हस्ताक्षर प्रमाणित

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

समक्ष

शाखा प्रबंधक,

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

शाखा.....

मैं..... पुत्र/पत्नी.....

निवासी.....

/मैं..... पुत्र/पत्नी.....

निवासी..... निम्न घोषणा / शपथ पूर्वक

ब्यान करते हैं कि

1. मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही है।

2. आवासीय प्लॉट श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी.....

द्वारा (प्राधिकरण/परिषद का नाम) द्वारा

शपथकर्ता को अंकन (शब्दों में.....)

बिक्रय किया जा रहा है।

2. शपथकर्ता आपके बैंक से अंकन शब्दों में(.....)

प्लॉट/प्लैट/भवन निर्माण हेतु, ऋण ले रहा है/रहे हैं।

3. शपथकर्ता प्लॉट सं०.....

(प्लॉट/प्लैट का पूर्ण पता) के स्वामी हैं। शपथकर्ता/कर्ताओं द्वारा यह प्लॉट

(विक्रेता का नाम) से दिनांक को अंकन.....

(शब्दों में) में खरीदा। उपनिबन्धक

कार्यालय में दिनांक को बही सं०.....

..... जिल्द सं०..... पृष्ठ सं०..... से

तक..... पर क्रमांक पर रजिस्ट्रीकृत है।(भवन निर्माण

ऋण की दशा में अनुमन्य)

4. शपथकर्ता इस प्लॉट का एकमात्र मालिक है।

5. शपथकर्ता आपको विश्वास दिलाता है कि उक्त प्लॉट की टाइटिल पूर्ण रूप से साफ सुथरी, भार मुक्त तथा पूर्ण रूप से बिक्री योग्य है और यह किसी भी मा० न्यायालय में विवाद के अन्तर्गत नहीं आती है।

6. शपथकर्ता उक्त प्लॉट को आपके बैंक के पक्ष में रहन रखकर उसपर आवासीय भवन निर्माण करना चाहता है।
7. शपथकर्ता पूर्ण स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के उपरोक्त आवासीय प्लॉट एवं आपके बैंक से लिए जा रहे ऋण से निर्मित भवन का सामयिक बन्धक कराकर अंकन (शब्दों में:.....) आवास निर्माण हेतु ऋण लेना चाह रहे हैं। प्लॉट/भवन को साम्यिक बंधक कराने में जो खर्चा आयेगा उसे शपथकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
8. शपथकर्ता वचन देता है कि जबतक आपके बैंक से लिए गए ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्कों की अदायगी नहीं हो जाती है तब तक शपथकर्ता उक्त प्लॉट/भवन के किसी भाग को न तो अन्य कहीं गिरवी रखेगा और न ही जमानत देगा तथा उक्त सम्पत्ति को सही दशा में रखेगा।
9. बैंक ऋण से सृजित भवन एवं प्लॉट पर बैंक का प्रथम भार रहेगा।
10. बैंक ऋण से जो प्लॉट/फ्लैट खरीदा जा रहा है उस प्लॉट/फ्लैट के मूल दस्तावेज / मूल बैनामे की प्रति आपके बैंक में जमा कराते हुए इस सम्पत्ति पर बैंक के पक्ष में नियमानुसार साम्यिक बन्धक शपथकर्ता द्वारा कराया जायेगा। साम्यिक बन्धक में जो भी खर्च होगा उसे शपथकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। (प्लॉट/फ्लैट खरीदने की दशा में अनुमन्य)
11. शपथकर्ता यह भी शपथ देता है कि यदि किसी स्तर पर बैंक के डाकूमेन्टेशन में कोई कमी / त्रुटि रह गयी है तो बैंक जब भी कमी / त्रुटि पूर्ण करने को कहेगा, शपथकर्ता उस कमी / त्रुटि को दूर करेगा।
12. लिए गये ऋण की निर्धारित मासिक किश्त की अदायगी नियमित रूप से मासिक आधार पर ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्कों की पूर्ण अदायगी तक जारी रखी जायेगी।
- 13- यदि शपथकर्ता द्वारा ऋण की अदायगी में चूक की जाती है तो बैंक को साम्यिक बन्धक रखी गयी उपरोक्तानुसार आवासीय सम्पत्ति को विक्रय करके समस्त शुल्कों सहित ऋण एवं ब्याज वसूल करने का अधिकार होगा एवं शपथकर्ता ऋण वसूली कार्यवाही में बैंक को सहयोग देगा।

उपरोक्तानुसार शपथ पत्र पूर्ण विवेक एवं स्वेच्छा से बैंक के समक्ष प्रस्तुत है। ईश्वर साक्षी है।

शपथकर्ता

शपथ पत्र गारंटरो की तरफ से

समक्ष:-

शाखो प्रबंधक,

जिला सहकारी बैंक लि0, गाजियाबाद

शाखा

फोटोयुक्त नोटेरी
शपथ पत्र 10
रु० के स्टाम्प
पर निष्पादित

श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी

श्री..... एवं श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पत्नी श्री..... निवासी.....

..... आपकी बैंक से अंकन

(शब्दों में) का ऋण प्लॉट खरीदने / फ्लैट खरीदने / आवासीय भवन निर्माण हेतु ले रहे हैं। हम उपरोक्त द्वारा लिए जा रहे ऋण अंकन

..... (शब्दों में) की गारंटी / सियोरिटी ले रहे हैं। हम उपरोक्त ऋण की गारंटी / सियोरिटी हेतु आवश्यक पात्रता रखते हैं। हमारे बारे में

विवरण निम्नवत है :-

गारंटर

गारंटर

- | | | | | |
|--------------------|---|-------|---|-------|
| 1. पूरा नाम | : | | : | |
| 2. पिता/पति का नाम | : | | : | |
| 3. जन्म तिथि / आयु | : | | : | |
| 4. स्थायी पता | : | | : | |

(प्रमाण स्वरूप छायाप्रति संलग्न करें)

- | | | | | |
|---------------------------|---|-------|---|-------|
| 5. पत्राचार / वर्तमान पता | : | | : | |
| | : | | : | |

(प्रमाण स्वरूप छायाप्रति संलग्न करें)

- | | | | | |
|------------------------------|---|-------|---|-------|
| 6. टेलीफोन नम्बर | : | | : | |
| 7. व्यवसाय | : | | : | |
| 8. कार्यालय / व्यवसाय का पता | : | | : | |
| | : | | : | |
| | : | | : | |

- | | | | | |
|---------------------|---|-------|---|-------|
| 9. शुद्ध वार्षिक आय | : | | : | |
|---------------------|---|-------|---|-------|

(प्रमाण स्वरूप छायाप्रति संलग्न करें)

- | | | | | |
|---------------------|---|-------|---|-------|
| 10. आय का पैन नम्बर | : | | : | |
|---------------------|---|-------|---|-------|

11. अचल सम्पत्तियों का विवरण.....

(प्रमाण स्वरूप छायाप्रति संलग्न करें)

12. अचल सम्पत्ति का मूल्य :.....

13. लिये गये ऋण का विवरण:-

(i). इस बैंक से :.....

(ii). अन्य बैंक से :.....

योग :.....

उपरोक्त विवरण को आवश्यक संलग्नों के साथ उपलब्ध कराते हुए मैं/हम निम्न घोषणा करता हूँ/करते हैं:-

1. यह कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्नों में दी गई सूचनायें सत्य एवं सही हैं ।
2. यह कि उपरोक्त ऋण बकाया पड़ने पर बकाया धनराशि या मांग पर पूर्ण धनराशि मैं/हम ब्याज सहित एकमुस्त जमा कर दूंगा/कर देंगे ।
3. यह कि उपरोक्त ऋण हेतु मेरी/हमारी गारंटी/सियोरिटी संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग भी होगी ।
4. यह कि हम जमानतदार / सियोरिटी कर्ता की हैसियत से बैंक उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ० प्र० सहकारी समिति नियमावली 1968 एवं भारतीय संबिदा अधिनियम 1872 के नियमों, शर्तों का पालन करेंगे एवं इन नियमों से बाध्य रहेंगे ।

यह कि शपथ पत्र के उपरोक्त विवरण 1 से 13 एवं धारा 1 से 4 तक के कथन/वयान

सत्य एवं सही हैं, कुछ छिपाया नहीं गया है। ईश्वर साक्षी है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर शपथकर्ता हस्ताक्षर शपथकर्ता

डिमाण्ड प्रोमाइजरी प्रोनोट

स्थान.....

रु०.....

दिनांक

मैं,पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद, शाखा को वचन

देता/देती हूँ कि उसकी मांग अथवा आदेश पर प्लॉट खरीदने/फ्लैट खरीदने/भवन निर्माण हेतु लिये गये

ऋण अंकन (शब्दों में))

की धनराशि प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर अदा करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं ।

हस्ताक्षर

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

1 रु० का रसीदी
टिकट लगाकर
हस्ताक्षर करना
है।

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

प्लाट/फ्लैट/भवन निर्माण, ऋण हेतु ऋणी के साथ बैंक का करार

100.00 रु० के स्टाम्प पर निष्पादित

यह एंग्रीमेन्ट दिनांक को श्री/श्रीमती.....

पति/पत्नी..... पता.....

श्री/श्रीमती..... पति/पत्नी.....

पता.....

जिसे / जिन्हें आगे ऋणी कहा गया है, और यह उसके / उनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों / निष्पादक अथवा ऋणी की तरफ से अधिकारी प्राप्त है (प्रथम पक्ष) एवं जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा जो कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 1966 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सहकारी समिति है एवं जिसका मुख्य कार्यालय, आर० डी० सी० ए-20, राजनगर गाजियाबाद में स्थिति है, जिसे आगे बैंक कहा जायेगा, के प्रतिनिधि पद स्थानी/अधिकृत प्रतिनिधि, के मध्य सम्पादित हुआ (द्वितीय पक्ष)।

क. ऋणी/ऋणियों द्वारा भूखण्ड/फ्लैट श्री

पिता/पति का नाम पता.....

..... (विक्रेता का नाम व पता) से

दि०..... को अंकन (शब्दों में.....

.....) में प्लाट/फ्लैट क्रय करने हेतु अनुबंध किया (प्लाट/फ्लैट हेतु ऋण की दशा में अनुमन्य)

ख. विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद.....

..... द्वारा प्रसारित (योजना का नाम) में

भूखण्ड/फ्लैट आवंटित किया गया है। जिसकी कीमत..... है। यह सूचना उक्त एजेन्सी

द्वारा अपने पत्रांक..... दिनांक द्वारा ऋणी को दी गयी है। (प्लाट/फ्लैट

हेतु ऋण की दशा में अनुमन्य)

ग. ऋणी का भूखण्ड (भूखण्ड का पता)

में स्थित है। यह भूखण्ड.....प्राधिकरण/परिषद द्वारा विकसित किया गया है। उक्त प्लाट पर

बैंक से आवासीय भवन निर्माण हेतु ऋण अंकन (शब्दों में.....

.....) लेकर आवासीय भवन का निर्माण कराना चाहते हैं। (भवन निर्माण ऋण हेतु

अनुमन्य)

ऋणी उपरोक्त में से उपबिन्दु..... के अन्तर्गत प्लाट/फ्लैट /भवन निर्माण हेतु

बैंक से अंकन (शब्दों में.....)

ऋण लेना चाहता/चाहते हैं एवं ऋण की अदायगी..... मासिक किस्तों में करना चाहता/चाहते हैं ऋणी द्वारा उपलब्ध करायी गयी/करायी जाने वाली कोलेटरल सिक्योरिटी एवं गारन्टी के परिपेक्ष्य में बैंक, ऋणी/ऋणियों को प्लॉट/फ्लैट/भवन निर्माण हेतु अंकन (शब्दों में.....) ऋण देने हेतु सहमत हुआ है।

ऋण स्वीकृत के संदर्भ में ऋणी / ऋणियों एवं बैंक के मध्य निम्न बिन्दुओं पर एग्रीमेंट हुआ।

1. बैंक ऋणी / ऋणियों को अंकन शब्दों में (.....)
- ऋण प्लॉट / फ्लैट / भवन निर्माण हेतु देगा। बैंक को अधिकार होगा कि बैंक ऋण एवं ऋणी के मार्जिन को जोड़कर ऋणी/ऋणियों की लिखित सहमति पर सीधे विक्रेता को दे अथवा उसके खाते में जमा करे।
2. ऋणी द्वारा विक्रेता से, प्राधिकृत बस्ती में स्थित, प्लॉट के क्रय करते समय विक्रेता से एग्रीमेंट के अनुसार भूखण्ड की कीमत का इकमुश्त भुगतान ऋणी/ऋणियों के अवशेष मार्जिन को जोड़ते हुए ऋणी के लिखित अनुरोध पर रजिस्ट्री के समय विक्रेता को चैक/पे-आर्डर के माध्यम से किया जायेगा। (विक्रेता से प्लॉट/फ्लैट क्रय करने की दशा में अनुमन्य)
3. यदि प्लॉट / फ्लैट का आवंटन प्राधिकरण / आवास विकास परिषद से इकमुश्त भुगतान योजना के अन्तर्गत हुआ है तो प्लॉट / फ्लैट की कीमत का सम्बन्धित एजेन्सी को ऋणी का मार्जिन जोड़ते हुए इकमुश्त भुगतान किया जायेगा। यदि ऋणी द्वारा प्राधिकरण / परिषद की किस्तों वाली योजना चयन की गयी है तो देय तिथि से सात दिन पूर्व ऋणी को अपना मार्जिन बैंक में जमा कराना होगा एवं बैंक द्वारा ऋण का अंश जोड़ते हुए सम्बन्धित एजेन्सी को मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/ वार्षिक किस्त का भुगतान किया जायेगा। (प्राधिकरण/परिषद से भूखण्ड/फ्लैट क्रय करने की दशा में अनुमन्य)
4. ऋणी द्वारा प्राधिकृत बस्ती में स्थित प्लॉट पर भवन निर्माण हेतु अधिकृत एजेन्सी से आवासीय भवन निर्माण हेतु नक्शा पास कराया जायेगा एवं ऐस्टीमेट प्रस्तुत किया जायेगा। ऋणी द्वारा नींव (प्लन्थ) तक का निर्माण कार्य स्वयं के धन से कराया जायेगा जो भवन निर्माण हेतु भवन स्वामी का मार्जिन होगा। भवन का निर्माण नींव स्तर तक पूर्ण होने पर स्वीकृत ऋण का 20 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में दिया जायेगा। भवन का निर्माण छत स्तर तक पूर्ण होने पर स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत द्वितीय किस्त के रूप में दिया जायेगा एवं भवन पूर्णरूप से निर्मित करने हेतु स्वीकृत ऋण का अवशेष 30 प्रतिशत, तृतीय किस्त (अन्तिम किस्त) के रूप में भुगतान किया जायेगा। किस्तों को भुगतान ऋणी के अनुरोध पर ऋणी को माल के विक्रेता अथवा ऋणी के खाते में किया जायेगा। (भवन निर्माण की दशा में अनुमन्य)

(क) बैंक द्वारा ऋणी से प्रतिशत की दर से ब्याज चार्ज किया जायेगा। ब्याज की गणना मासिक आधार पर करते हुए ऋणी के आवास ऋण खाते में डेविट की जायेगी मासिक किस्त की समय से अदायगी न होने की स्थिति में बकाये की धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज बैंक द्वारा ऋणी से वसूल किया जायेगा। बैंक द्वारा ऋणी से ब्याज वसूल किए जाने की दर भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / निबन्धक / शीर्ष बैंक / बैंक के निर्देशों के आधीन परिवर्तनीय है, जो ऋणी को मान्य होगी।

(ख) यदि ऋणी / ऋणियों द्वारा बैंक से लिए गये ऋण का दुरुपयोग किया जाता है तो बैंक, लगे ऋण की

अन्य शुल्कों सहित इकमुस्त वसूली करने हेतु स्वतन्त्र होगा तथा इसमें हुए हर्जे खर्चे की वसूली ऋणी से की जायेगी, जो ऋणी को मान्य होगी। वसूली उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के विभिन्न सुसंगत प्रावधानों के तहत की जायेगी। जिसमें ऋणी को सहयोग देना होगा।

(ग) (बैंक ऋण से सृजित आवासीय सम्पत्ति को रहन रखकर ऋणी द्वारा अन्य किसी संस्थान से न तो ऋण लिया जायेगा और न ही यह सम्पत्ति रहन रखी जायेगी)।

4. ऋणी यह वचन देता है कि ऋण के सापेक्ष बैंक को पर्याप्त कोलेटरल सिक्योरिटी का साम्यिक बंधक ऋणी अपने खर्चे से करायेगा एवं कोलेटरल सिक्योरिटी के मूल दस्तावेज बैंक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।
5. यदि ऋणी की मृत्यु हो जाती है, अथवा ऋणी दिवालिया हो जाता है। तो ऋणियों के जायज वारिस को नोटिस देकर इकमुस्त वसूली की जायेगी। ऋण से सृजित सम्पत्ति / ऋणी / जायज वारिसों की सम्पत्ति से बैंक के लगे ऋण, ब्याज एवं अन्य देयकों की इकमुस्त वसूली कार्यवाही बैंक द्वारा की जायेगी।
6. ऋणी द्वारा विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद से ली गयी आवासीय सम्पत्ति के मूल्य के भुगतान की दशा में ऋणी के मार्जिन को ऋणी द्वारा इकमुस्त बैंक शाखा में जमा कराया जायेगा एवं शोधन ऋणी के खाते में अग्रिम करते हुए सम्बन्धित एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा। यदि ऋणी द्वारा बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी की गयी है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो बैंक आवास विकास परिषद / विकास प्राधिकरण को ऋणी के वास्ते सम्बन्धित एजेन्सी को भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं होगा।
7. ऋणी द्वारा बैंक ऋण से सृजित आवासीय सम्पत्ति का बैंकर्स क्लोज के अन्तर्गत बीमा कराया जायेगा एवं बीमे की प्रीमियम ऋणी द्वारा वहन की जायेगी एवं बीमे की अवधि लगे ऋण की पूर्ण अदायगी तक जारी रहेगी। बीमा बैंक एवं ऋणी के संयुक्त नाम से कराया जायेगा एवं मूल बीमा पालिसी बैंक में रहेगी। बीमा क्लेम मिलने की दशा में बीमा क्लेम की धनराशि से बैंक के लगे ऋण ब्याज एवं अन्य शुल्कों को समायोजित करने के उपरान्त शेष धनराशि ऋणी/उसके उत्तराधिकारियों को दी जायेगी।
8. ऋण से सृजित सम्पत्ति / ऋणी द्वारा साम्यिक बंधक हेतु प्रस्तावित कोलेटरल सिक्योरिटी पर साम्यिक बंधक हेतु किसी प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता है तो वह ऋणी द्वारा अपने खर्चे पर बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. जिस सम्पत्ति पर बैंक द्वारा आवासीय ऋण दिया जाना प्रस्तावित है एवं वह सम्पत्ति लीज होल्ड है तो लीज होल्ड सम्पत्ति की फ्री होल्ड सम्पत्ति में परिवर्तित कराने की कार्यवाही ऋणी द्वारा करायी जायेगी, जिसका खर्चा ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।
10. ऋणी द्वारा मासिक किस्त की धनराशि उसी बैंक शाखा में जमा करायी जायेगी जिस शाखा से ऋणी द्वारा ऋण लिया गया है। यदि बैंक द्वारा अपनी पालिसी के अन्तर्गत ऋणी से प्रासंगिक व्यय वसूली करने का निर्णय लिया जाता है तो वह बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के वसूला जा सकता है।
11. ऋणी द्वारा ऋण की मासिक किस्त की वेतन से अदायगी हेतु अपने नियोक्ता को अधिकृत कर दिया गया है। ऋणी द्वारा नियोक्ता से प्रतिमाह निर्धारित मासिक किस्त की कटौती कराकर माह की 10 तारीख तक बैंक शाखा में ऋण की पूर्ण अदायगी तक जमा करायी जाती रहेगी। यदि किन्हीं कारणवश ऋणी को नौकरी छोड़नी पड़ती है या नौकरी से त्यागपत्र दिया जाता है अथवा नियोक्ता द्वारा ऋणी को सेवाच्युत किया

जाता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि ऋणी को प्राप्त होने वाली आस्तियों, उपार्जित अवकाश, ग्रेच्युटी, पी० एफ०, बीमा आदि से अवशेष ऋण ब्याज एवं अन्य शुल्कों की वसूली कर ले। (सेवायोजित / वेतनभोगी ऋणी पर लागू)

12. ऋणी बैंक के नियमों, बैंक की वर्तमान उपविधियों एवं उपविधियों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों को मानने के लिए बाध्य रहेगा साथ ही साथ उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ० प्र० सहकारी समिति नियमावली 1968 के वर्तमान प्रावधानों एवं भविष्य में संशोधित प्रावधानों को मानने के लिए भी बाध्य होगा।

13. ऋणी बैंक को अपनी सहमति देता है कि बैंक द्वारा ऋण आवेदन पत्र के अनुसार उससे सम्बन्धित सूचना और आंकड़ा उसके द्वारा ली गयी / ली जाने वाली किसी उधार सुविधा से सम्बन्धित सूचना या आंकड़े और उसकी ऐसी बाध्यता के निर्वाहन में उसके द्वारा किया गया व्यतिक्रम (डिफाल्ट) को प्रकट करने हेतु, जिसे बैंक उचित समझता हो, बैंक प्रकट कर सकता है।

14. ऋणी बैंक के समक्ष यह घोषणा करता है कि बैंक से आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु ऋणी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अथवा संलग्नकों के माध्यम से जो भी सूचना और आंकड़े बैंक को दिये गये हैं वे सत्य और सही हैं।

उपरोक्तानुसार ऋण करार दिनांक को ऋणी एवं बैंक के मध्य सम्पादित हुआ।

हस्ताक्षर साक्षी.....

नाम

पता.....

.....

हस्ताक्षर

शाखा प्रबन्धक

जिला सहकारी बैंक लि०

गाजियाबाद।

शाखा.....

हस्ताक्षर

ऋणी

नाम.....

पता.....

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

प्लॉट/फ्लैट आवासीय भवन ऋण हेतु गारन्टी करार

100.00 रु० के स्टाम्प पर निष्पादित

यह गारन्टीकरार (स्थान) पर दिनांक

.....को प्रथम पक्ष श्री पुत्र

..... निवासी

(प्रथम गारन्टर)/श्री

पुत्र..... निवासी.....

(द्वितीय गारन्टर) (जिन्हें आगे गारन्टी कर्ता कहा गया है) जिसे/जिन्हें अभिव्यक्ति में अनुकूल होने पर उनके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक तथा समानुदेशी और अभिप्रेत शामिल होंगे (प्रथम पक्ष) तथा द्वितीय पक्षकार के रूप में जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद, शाखा जो उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन निबन्धित सहकारी समिति है और जिसका प्रधान कार्यालय आर०डी०सी० ए०-20, राजनगर में है, जिसे आगे बैंक कहा गया है, के प्रतिनिधि, पद स्थानी/अधिकृत प्रतिनिधि के मध्य सम्पादित हुआ।

उपरोक्त गारन्टी कर्ताओं के अनुरोध पर जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा

.....द्वारा श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी

.....निवासी

...../श्री/श्रीमती

पुत्र/पत्नी निवासी

.....जिसे आगे ऋणीकर्ता कहा गया है, को प्लॉट / फ्लैट /

आवासीय भवन निर्माण हेतु ऋण अंकन (शब्दों में

.....) देने को सहमत है।

अतः अब यह करार इस बात का साक्षी है कि गारन्टीकर्ता (ओं) के अनुरोध पर बैंक द्वारा ऋणी को दिये जाने वाले प्लॉट / फ्लैट / आवासीय भवन निर्माण हेतु ऋण की मंजूरी दिये जाने के प्रति फलस्वरूप, गारन्टीकर्ता एतद् द्वारा बैंक के साथ निम्नलिखित करार करते/करती हैं।

1. गारन्टीकर्ता एतद् द्वारा संयुक्त तथा प्रथक रूप से गारन्टी देता है / देते हैं कि वे बैंक द्वारा लिखित में मांग किये जाने पर उसे उक्त ऋणी के सम्बन्ध में दिये गये प्लॉट / फ्लैट / आवासीय भवन निर्माण हेतु ऋण खाते में (जिन्हें आगे 'ऋणगत ऋणी' कहा गया है) ऋणकर्ता की ओर से बैंक को उस समय देय तथा किसी भी समय देय होने वाले भुगतान की तारीख तक के मूलधन की राशि, ब्याज, खर्चों तथा सभी हानियों तथा

क्षतियों, खर्चों, व्ययों तथा कानूनी खर्चों के मामले में मुवक्किल के रूप में बैंक पर पड़ने वाले अन्य खर्च जो ऐसे मामले में ऋणीकर्ता की अस्थायी अथवा अन्य त्रुटि या भूल चूक के कारण बैंक पर पड़े हों या जिनमें (उपर्युक्त के अनुसार) मुकदमे द्वारा या अन्यथा अथवा उक्त ऋणग्रस्तव्य या किसी भी रूप में अन्यथा किसी भी प्रतिभूति के

2. प्रवर्तन या प्रयावित प्रवर्तन या वसूली द्वारा भुगतान खर्चें अथवा बैंक द्वारा वहन किये गये कोई भी खर्चें (जो कि उपर्युक्त के अनुसार होंगे) या व्यय जिन्हें कि बैंक को ऐसी किन्हीं भी प्रतिभूति या उनसे प्राप्त किन्हीं भी राशियों के सम्बन्ध में अन्य के साथ या बिना किसी भी ऐसी कार्यवाही में संयोजित होने के कारण जिससे कि बैंक को पार्टी बनाया जाये या जिसका वह स्वयं पार्टी बने शामिल होंगे या भुगतान करेगा/करेंगे ।

3. गारन्टी कर्ता एतद् द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि यह गारन्टी एक सत्त गारन्टी होगी तथा प्लॉट/फ्लैट/भवन निर्माण ऋण के सम्बन्ध में अलग-अलग रूप से चालू रहेगी और बैंक अपने विवेक से उसे इस प्रकार परिवर्तित कर सकता है मानों गारन्टी कर्ता (ओं) ने ऋणी के प्लॉट / फ्लैट / भवन निर्माण ऋण के लिए अलग-अलग गारन्टी दी हो । किसी भी समय अथवा समय-समय पर उक्त खातों में से किसी एक में भी ऋणकर्ता (ओं) के विरुद्ध कोई देयता न होने या खाते में उनके पक्ष में जमा शेष होने की स्थिति के कारण गारंटी को रद्द अथवा किसी भी रूप में प्रभावित हुयी नहीं समझा जायेगा और यह गारंटी खातों के बन्द होने तक बाद के सभी लेन-देनों के सम्बन्ध में जारी तथा चालू रहेगी ।

4. गारंटीकर्ता (ओं) एतद्द्वारा सहमत है / हैं कि बैंक उसे / उन्हें बताये अथवा कोई नोटिस दिये बिना ऋणकर्ता के साथ संविदा की शर्तों में कोई भी ऐसे परिवर्तन कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे और इसमें खाते पर लागू ब्याज की दर में परिवर्तन करना भी शामिल है । गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है / हैं कि बैंक चाहे तो किसी भी किस्म की अतिरिक्त समपाशिवक प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है । ऋणकर्ता को दिये गये किसी ऋण का अवधारण कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा उसके / उनके साथ कोई समझौता कर सकता है अथवा उसे / उन्हें समय देने या उस / उन पर मुकद्मा न करने का वचन दे सकता है । गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है कि बैंक द्वारा ऋणकर्ता को उनकी देयता से मुक्त कर देने अथवा बैंक की किसी ऐसी कार्यवाही या चूक के कारण जिसके कि कानूनी परिणाम ऋणकर्ता की दायित्व-मुक्ति हो अथवा बैंक के किसी भी ऐसे कार्य के कारण जो कि इस उपबन्ध के न होने की स्थिति में, गारंटीकर्ता के रूप में उसके / उनके अधिकारों के विपरीत हों अथवा बैंक द्वारा कोई ऐसा कार्य न करने के कारण जिसे कि इस उपबन्ध के न होने की स्थिति में बैंक के कर्तव्यों के अनुसार बैंक के लिये करना अपेक्षित होगा, गारंटीकर्ता अपनी देयताओं से दायित्व-मुक्त नहीं होगा / होंगे । गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा संविदा के उपबन्धों में किये गये किसी भी परिवर्तन के कानूनी परिणामों में लाभों तथा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 133, 134, 135, 139 और 141 द्वारा गारंटीकर्ता को प्रदत्त किन्हीं भी अधिकारों का दावा करने का / के हकदार नहीं होगा / होंगे । गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है / हैं कि बैंक द्वारा कोई भी अनियमित अथवा सहमत किस्त (तों) की राशि से कम राशि का भुगतान स्वीकार कर लिये जाने के कारण, चाहे वह भुगतान ऋणकर्ता द्वारा देय तिथि को या उससे पहले या उसके बाद में किया गया हो, गारंटीकर्ता अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जायेगा/जायेंगे और इस तरह की स्वीकृति कोई नई अथवा

ताजी संविदा के न तो समान होगी और न उसका निर्माण करेगी । गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है/हैं कि ऋणकर्ताओं द्वारा किसी भी समय अथवा समय-समय पर की गयी किन्हीं भी चूकों के सम्बन्ध में बैंक उसे/उन्हें सूचित करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

5. गारंटीकर्ता यह भी घोषणा करता है / करते हैं कि बैंक द्वारा ऋणकर्ता अथवा उसके / उनके प्रति उत्तरदायी अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, अथवा उसके या उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी लाभांशों समझौता राशियों या भुगतानों को सकल राशि के भुगतान के रूप में माना और प्रयुक्त किया जायेगा और गारंटीकर्ता तथा उसके / उनके प्रतिनिधियों को किसी भी ऐसे लाभांशों, समझौता राशियों या भुगतान के लाभ के लिये तब तक दावा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऋणकर्ता अथवा उसके / उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध बैंक की इस गारंटी के अन्तर्गत आने वाली पूरी राशि के सभी ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता ।

6. बैंक द्वारा ऋणकर्ता को ऋणसीमा, अग्रिम ओवरड्राफ्ट अथवा अन्य ऋण सुविधायें दिये जाने अथवा उससे / उनके कोई अन्य गारंटी या प्रतिभूति प्राप्त करने से इस करार के अन्तर्गत गारंटीकर्ता (ओं) की देयता न तो आधारित होगी, न उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और न ही वह कम होगी ।

7. गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है / हैं बैंक तथा ऋणकर्ता के बीच निपटाये गये कोई भी खाते अथवा उसके / उनके प्राधिकृत एजेन्टों द्वारा स्वीकृत या पुष्टिकृत उक्त खातों में बैंक को देय राशियां निर्णायक होंगी और गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा उनके सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे ।

8. गारंटीकर्ता, ऋणकर्ता अथवा उसके / उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को खाते के परिचालन तथा प्रत्येक सह-गारंटीकर्ता को, उसकी / उनकी ओर से गारंटीकर्ता के रूप में, समय-समय पर देय राशि की पुष्टि करने तथा देय की अभिस्वीकृति देने के लिये एजेन्ट के रूप में प्राधिकृत और नियुक्त करता / करते हैं गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है / हैं कि ऋणकर्ता की ओर से एजेन्ट के रूप में किसी / किन्हीं भी सहगारंटीकर्ताओं द्वारा दी गयी किसी भी देयता की अभिस्वीकृति, ऋण परिसीमा को नये सिरे से आरम्भ करने तथा उसके/उनके विरुद्ध देयता की स्वीकृति के लिये उस / उन पर बाध्यकारी होगी ।

9. यदि ऋणकर्ता बैंक को गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा गारंटीकृत राशि का भुगतान कर देता है / देते हैं और उसके परिणामस्वरूप बैंक गारंटीकर्ता (ओं) को इस गारंटी के अन्तर्गत सभी देयताओं से दायित्वमुक्त कर देता है, लेकिन बाद में न्यायालय द्वारा अथवा यह अवधारित किया जाता है कि उक्त भुगतान कपटपूर्ण अधिमान के आधार पर किया गया है तथा बैंक को उक्त राशि लौटानी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में इस गारंटी के आधार पर बैंक के प्रति गारंटीकर्ता (ओं) की देयता उसी सीमा तथा उसी तरह फिर लागू हो जायेगी मानो वह भुगतान कभी किया ही न गया हो ।

10. गारंटीकर्ता इस बात से भी सहमत है / हैं बैंक अपने पास ग्रहणाधिकार, दृष्टिबन्धक, गिरवी अथवा बन्धक के रूप में रखी प्रतिभूतियों में से किसी भी प्रतिभूति को प्रवर्तित किये, बेचे अथवा उगाहे बिना ही ऋणकर्ता (ओं) द्वारा उक्त खातों में दिये गये किन्हीं भी बिलों या अन्य लिखतों के वसूली के लिये परिचालन में और बकाया होने के बावजूद, इस गारंटीकरार को परिवर्तित कर सकता है ।

11. इस गारंटी के अन्तर्गत जब तक कोई राशि ऋण के रूप में बकाया रहती है, तब तक गारंटीकर्ता (ओं)

की सभी जमा राशियों तथा बैंक के पास गारंटीकर्ता (ओं) की सम्बन्धित किन्हीं भी प्रतिभूतियों पर बैंक का ग्रहणाधिकार रहेगा तथा बैंक को उनसे अपने ऋण को समायोजित / वसूल करने का अधिकार होगा ।

12. बैंक द्वारा दृष्टिबंधक (बंधक/सामयिक बंधक) की गयी कोलेटरल सिक्क्योरिटी को बैंक द्वारा विक्रित किये जाने की अवस्था में गारंटीकर्ता (ओं) को कोई आपत्ति नहीं होगी साथ ही साथ गारंटीकर्ता बैंक ऋण/शुल्कों की वसूली में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा । गारंटरों द्वारा वसूली कार्यवाही में कोई प्रश्न नहीं किया जायेगा ।

13. गारंटी कर्ताओं द्वारा ऋणी को उपरोक्तानुसार बैंक से ऋण दिलाये जाने के उपरान्त यदि ऋणी द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर दिया गया है अथवा ऋणी की हैसियत में परिवर्तन हो गया है अथवा ऋणी अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चला गया है अथवा ऋणी की मृत्यु हो गयी है, तो गारंटरों की गारंटी एवं देयताओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा । इस दशा में गारंटरों की गारंटी अपरिवर्तनीय रहेगी ।

14. ऋणकर्ता की ओर से ऋण शक्तियों में किसी अभाव अथवा शिथिलता अथवा उन शक्तियों के प्रयोग में किसी भी तरह की अनियमितता के कारण गारंटीकर्ता (ओं) की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस अभाव, शिथिलता या अनियमितता के बावजूद ऋणकर्ता को दी गयी कोई भी राशियां देय और बाकी मानी जायेगी और ऋणकर्ता के नाम/मों या उसके/उनके गठन में किसी परिवर्तन का इस गारंटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि गारंटी, गारंटीकर्ता (ओं) के विरुद्ध प्रवर्तनीय रहेगी चाहे ऋणकर्ता तथा उसके लेनदार के बीच की गयी संविदा के रूप में प्रवर्तनीय हो या नहीं । इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि यदि गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा दी गयी गारंटी प्रवर्तित न की जा सकती हो अथवा किसी भी कारण से यह गारंटी कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय हो जाये, तो इस करार के अन्तर्गत दी गयी गारंटी, गारंटीकर्ता (ओं) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में प्रवर्तित कर दी जाये और गारंटीकर्ता बैंक की किसी भी ऐसी हानि, क्षति, खर्चों या अन्य प्रभारों की क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति करने के लिये सहमत है/हैं और वचन देता/देते हैं ।

15. इस गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा गारंटीकर्ता (ओं) को इस करार में दिये गये पते पर डाक से भेजा गया कोई नोटिस अथवा लिखित मांग उसे/उन्हें विधिवत दिया गया नोटिस या मांग माना जायेगा जो प्रभावी होगा / होगी, चाहे उसके / उनके घर के पते / पतों में कोई परिवर्तन हो गया हो अथवा उनमें से किसी की मृत्यु हो गयी हो । नोटिस डाक में डाले जाने के 24 घंटे के बाद, ऐसी मांग गारंटीकर्ता (ओं) द्वारा प्राप्त मानी जायेगी और इस बात का पर्याप्त प्रमाण होगा कि मांग से सम्बन्धित पत्र पर सही पता लिखा गया था और उसे डाक में डाला गया था ।

16. गारंटीकर्ता इस बात से सहमत है / हैं कि जिस कार्यालय में प्रधान देनदार का खाता हो वहां के तत्कालीन प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, बैंक की बहियों में दिये गये प्रधान देनदार के खाते की प्रति, उस समय प्रधान देनदार द्वारा बैंक को किसी भी खाते में देय राशि अथवा इस गारंटी पर उसके/उनके विरुद्ध शुरु की गयी अन्य कार्यवाहियों में शाखा का अभिलेख उसके/उनके विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य होगा ।

17. तदनुसार, मैं / हम, एतद्द्वारा करार करता हूँ / करते हैं और बैंक द्वारा निम्नलिखित सभी का या किसी

एक का प्रकटीकरण के लिए सहमति देता हूँ/देते हैं:-

क. मुझे से / हमसे संबंधित सूचना और आँकडा:

ख. बैंक द्वारा मंजूर/ मंजूर की जानेवाली और मेरे / हमारे द्वारा प्रत्याभूति दाता के रूप में प्रत्याभूति किसी ऋण सुविधा के संबंध में मेरे / हमारे दायित्वों से संबंधित सूचना और आंकडा, और

ग. मेरी/हमारी ऐसी बाध्यता के निर्वहन में मेरे/हमारे द्वारा किया गया व्यतिक्रम, यदि कोई हो,

18. उक्त उधार/ओवरड्राफ्ट को शासित करने वाले नियमों और सामयिक रूप से भरे जाने के पश्चात इन दस्तावेजों की अंतरवस्तुओं को मुझे/हमें उस भाषा में पढ़कर सुना दिया गया है जिसे मैं/हम जानते हैं तथा मैं/हम एतद्वारा यह करार करता हूँ /करते हैं कि मैं/हम इस समय प्रवृत्त और समय-समय पर यथा संशोधित बैंक के नियम मुझे/हमें कोई और सूचना दिए बिना वह हम पर आबद्ध होंगे ।

19. गारन्टीकर्ता बैंक के नियमों , वर्तमान उपविधियों एवं नियमों, उपविधियों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों को मानने के लिए बाध्य रहेंगे साथ ही साथ उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ० प्र० सहकारी समिति नियमावली 1968 के वर्तमान प्रावधानों एवं भविष्य में संशोधित प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य होंगे ।

हम गारन्टीकर्ताओं ने गारन्टी करार के मर्म को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है, एवं ऋणी को प्लाट/फ्लैट/ भवन निर्माण, ऋण की गारन्टी के संदर्भ में पूर्ण स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के बैंक के साथ निष्पादित किया है ।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप इस करार पर गारंटीकर्ता (ओं) तथा बैंक ने
दिनांक को अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

हस्ताक्षर साक्षी.....

नाम

पता.....

.....

हस्ताक्षर गारन्टीकर्ता

नाम

पद

पता

हस्ताक्षर गारन्टीकर्ता

नाम

पद

पता

वास्ते जिला सहकारी बैंक लि०,

गाजियाबाद

शाखा प्रबंधक,

शाखा

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

त्रिपक्षीय करार

यह एग्रीमेंट

(स्थान पर.) दिनांक..... को श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पत्नी.....निवासी.....

श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी.....

निवासी.....

....., जो कि जिसे / जिन्हें आगे ऋणी कहा गया है और

यह उनके सभी विधिक उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, प्रशासन, निष्पादक अथवा जिन्हें ऋणी की तरफ से अधिकार प्राप्त है। (प्रथम पक्ष) एवं

प्राधिकरण/परिषद एवं उसके उत्तराधिकारी, पदस्थानी, अधिकृत प्रतिनिधि (द्वितीय पक्ष) एवं जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा.....

जो कि उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 1966 के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समिति है एवं जिसका मुख्य कार्यालय आर०डी०सी०, ए-20, राजनगर, गाजियाबाद में स्थित है, जिसे आगे बैंक कहा जायेगा, के प्रतिनिधि/पदस्थानी के मध्य सम्पादित हुआ।

उपरोक्त पक्षों में निम्न बिन्दुओं पर एग्रीमेंट हुआ

1.(प्राधिकरण/परिषद का नाम) द्वारा.....

..... प्रसारित योजना में आवेदक/ऋणी द्वारा प्लॉट/फ्लैट क्रय करने हेतु आवेदन किया गया।

2. श्री/श्रीमतीके आवेदन के क्रम में

..... प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवेदक को अपने पत्रांक..... दिनांक

..... के माध्यम से प्लॉट/भूखण्ड आवंटित किया गया।

3. आवेदक/ऋणी के आवेदन पर बैंक द्वारा आवेदक/ऋणी को आवंटित किए गए प्लॉट / फ्लैट को साम्यिक बन्धक रखकर अंकन

.....) प्लॉट/भूखण्ड क्रय करने हेतु, ऋण देने हेतु बैंक द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

4. प्लॉट/फ्लैट क्रय करने हेतु बैंक द्वारा आवेदक/ऋणी के वास्ते प्राधिकरण/परिषद को भुगतान किए गये

उपरोक्त धन के क्रम में, उपरोक्त प्लॉट / फ्लैट की टाइटिल बैंक के पक्ष में तब तक साम्यिक बंधक रहेगी, जब तक की ऋणी द्वारा बैंक से लिए गए समस्त ऋण की ब्याज एवं समस्त शुल्कों सहित अदायगी न कर दी जाये।

5- प्राधिकरण/परिषद द्वारा उक्त प्लॉट / फ्लैट की टाइटिल सीधे बैंक को हस्तगत कराई जायेगी। एवं ऋणी द्वारा नियमानुसार उक्त आवासीय सम्पत्ति को साम्यिक बन्धक रखा जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में त्रिपक्षीय करार निम्न बिन्दुओं का साक्षी है।

ऋणी द्वारा अंकन..... (शब्दों में.....)
की धनराशि प्राधिकरण परिषद के पास रजिस्ट्रेशन मनी के रूप में जमा की जा चुकी हैं। एवं अंकन.....
..... (शब्दों में.....) ऋणी का मार्जिन
एवं शेष धनराशि अंकन (शब्दों में.....
.....) का ऋण के रूप में भुगतान, बैंक द्वारा सीधे प्राधिकरण/परिषद के खाते
में जमा कराया जायेगा।

1. बैंक ऋणी/ऋणियों के कहने पर प्राधिकरण/परिषद के खाते में उतनी ही धनराशि जमा करायेगा जितनी धनराशि ऋणी/ऋणियों को ऋण के रूप में स्वीकृत की जायेगी। तथा जितनी धनराशि बैंक द्वारा प्राधिकरण/परिषद के खाते में जमा करायी जायेगी उतनी धनराशि को यह माना जायेगा जैसे कि उतनी धनराशि का सीधे भुगतान ऋणी/ऋणियों को किया गया हो।

2. आगे ऋणी द्वारा बैंक को यह भी आश्वस्त कर दिया गया है कि अगर किन्हीं कारणों वश प्राधिकरण/परिषद के कार्य में देरी होती है अथवा बैंक द्वारा प्राधिकरण/परिषद को धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक उसके जबतक जिम्मेदार नहीं होगा जब तक की:-

क. ऋणी द्वारा प्राधिकरण/परिषद/ समिति को अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता।

ख. बैंक फ्लैट के निर्माण की प्रगति से संतुष्ट नहीं हो जाता।

3. प्राधिकरण/परिषद द्वारा ऋणी की आवासीय सम्पत्ति के नाम से एक अलग खाता खोला जायेगा, एवं उसमें ऋणी के वास्ते प्राधिकरण/परिषद को प्लॉट/फ्लैट की कीमत का भुगतान किया जायेगा।

4. फ्लैट पूर्ण होने पर प्राधिकरण/परिषद द्वारा फ्लैट का कब्जा ऋणी को सौंप दिया जायेगा। एवं प्लॉट/फ्लैट की टाइटिल की मूल प्रति बैंक में जमा करायी जायेगी, ऋणी द्वारा बैंक ऋण से क्रय की गयी सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक कराना होगा।

5. अगर फ्लैट की कीमत प्राधिकरण/परिषद द्वारा बढ़ा दी जाती है और वह धनराशि बैंक के स्वीकृत ऋण से अधिक होती है तो उस धनराशि का भुगतान ऋणी द्वारा स्वयं के साधनों से किया जायेगा।

6. यदि किन्हीं कारणों वश ऋणी/ऋणियों द्वारा प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटित प्लॉट/फ्लैट को लेने से मना कर दिया जाता है अथवा प्राधिकरण/परिषद द्वारा योजना को बीच में बन्द कर दिया जाता है अथवा अन्य किन्हीं कारणों वश ऋणी/ बैंक द्वारा प्राधिकरण/परिषद को भवन की शेष धनराशि का भुगतान नहीं

किया जाता है तो प्राधिकरण/परिषद द्वारा अपना शुल्क काटने के बाद शेष धनराशि सीधे बैंक को वापिस की जायेगी। बैंक द्वारा अपने ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्कों का समायोजन करने के उपरान्त शेष धन ऋणी को वापस किया जायेगा।

7- यदि बैंक द्वारा प्राधिकरण/परिषद को किस्त का भुगतान करने में विलम्ब होता है तो उसके लिए प्राधिकरण/परिषद की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कार्य के लिए ऋणी/ऋणियों को ही समय-समय पर बैंक से प्राधिकरण/परिषद को भुगतान कराने हेतु सम्पर्क करना होगा।

8. प्राधिकरण/परिषद द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखी जाने वाली उक्त सम्पत्ति के साम्यिक बन्धक के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

9. यदि प्राधिकरण/परिषद द्वारा प्लॉट/फ्लैट की कीमत बढ़ायी जाती है तो उस धनराशि का भुगतान स्वयं ऋणी को अपने संसाधनों से प्राधिकरण/परिषद को करना होगा। और जबतक बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान ऋणी द्वारा परिषद को नहीं किया जाता तब तक बैंक को अधिकार होगा कि वह स्वीकृत शेष धनराशि का भुगतान परिषद/प्राधिकरण को न करें।

10. ऋणी बैंक की पूर्व अनुमति के अपने उक्त प्लॉट/फ्लैट को न तो किसी अन्य के पास रहन रखेगा, न ही बेचेगा और न ही इस जमानत देगा।

11. बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्लॉट/फ्लैट को प्राधिकरण/परिषद द्वारा किसी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जायेगा।

12. फ्लैट पूर्ण होने पर प्राधिकरण/परिषद द्वारा फ्लैट का कब्जा ऋणी को सौंप दिया जायेगा। एवं प्लॉट / फ्लैट की टाइटिल की मूल प्रति बैंक में जमा करायी जायेगी, ऋणी द्वारा बैंक ऋण से क्रय की गयी सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक कराना होगा।

13. अगर फ्लैट की कीमत प्राधिकरण/परिषद द्वारा बढ़ा दी जाती है और वह धनराशि बैंक के स्वीकृत ऋण से अधिक होती है तो उस धनराशि का भुगतान ऋणी द्वारा स्वयं के साधनों से किया जायेगा।

14. यदि किन्हीं कारणोंवश ऋणी/ऋणियों द्वारा प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटित प्लॉट/फ्लैट को लेने से मना कर दिया जाता है अथवा प्राधिकरण/परिषद द्वारा योजना को बीच में बन्द कर दिया जाता है अथवा अन्य किन्हीं कारणोंवश ऋणी/बैंक द्वारा प्राधिकरण/परिषद को भवन की शेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण/परिषद द्वारा अपना शुल्क काटने के बाद शेष धनराशि सीधे बैंक को वापिस की जायेगी। बैंक द्वारा अपने ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्कों का समायोजन करने के उपरान्त शेष धन ऋणी को वापस किया जायेगा।

15. यदि बैंक द्वारा प्राधिकरण/परिषद को किस्त का भुगतान करने में विलम्ब होता है तो उसके लिए प्राधिकरण/परिषद की जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कार्य के लिए ऋणी/ऋणियों को ही समय-समय पर बैंक से प्राधिकरण/परिषद को भुगतान कराने हेतु सम्पर्क करना होगा।

16. प्राधिकरण/परिषद द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखी जाने वाली उक्त सम्पत्ति के साम्यिक बन्धक के लिए

अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

17. यदि प्राधिकरण/परिषद द्वारा प्लॉट/फ्लैट की कीमत बढ़ायी जाती है तो उस धनराशि का भुगतान स्वयं ऋणी को अपने संसाधनों से प्राधिकरण/परिषद को करना होगा। और जबतक बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान ऋणी द्वारा परिषद को नहीं किया जाता तब तक बैंक को अधिकार होगा कि वह स्वीकृत शेष धनराशि का भुगतान परिषद/प्राधिकरण को न करें।

18. ऋणी बैंक की पूर्व अनुमति के अपने उक्त प्लॉट/फ्लैट को न तो किसी अन्य के पास रहन रखेगा, न ही बेचेगा और न ही इस जमानत देगा।

19. बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्लॉट/फ्लैट को प्राधिकरण/परिषद द्वारा किसी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जायेगा।

20. यदि प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की धनराशि वापिस की जाती है तो वह धनराशि ऋणी को वापिस नहीं की जायेगी। उसके स्थान पर प्राधिकरण/परिषद द्वारा सीधे वह धनराशि बैंक में ऋणी के भवन ऋण खाते में जमा की जायेगी।

यह करार ऋणी, प्राधिकरण / परिषद एवं जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद के मध्य दिनांक
..... को निष्पादित हुआ।

ऋणी के हस्ताक्षर
नाम व पता

प्राधिकरण/परिषद के सक्षम
अधिकारी के हस्ताक्षर
सील सहित

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर
जिला सहकारी बैंक लि०,
गाजियाबाद
शाखा.....

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम व पता

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम व पता

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम व पता

मोरगेज डीड

(ऋण राशि पर रु० 0.50 प्रतिशत की दर से स्टाम्प पर निष्पादित)

यह मोरगेज डीड.....(स्थान का नाम) पर दिनांक
 को, श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी
 निवासी

..... जिन्हें आगे मोरगेजकर्ता कहा गया है। जिसे अभिव्यक्ति में अनुकूल होने पर उसके / उनके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, समानुदेशी एवं अभिप्रेत शामिल होंगे। (प्रथम पक्ष) तथा द्वितीय पक्षकार के रूप में जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद शाखा..... जो उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965, उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 1966 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी समिति है एवं इसका मुख्य कार्यालय, आर०डी०सी०, ए-20, राजनगर, गाजियाबाद में स्थित है। जिसे आगे मोरगेजी कहा जायेगा। जिसमें उनके सभी उत्तराधिकारी, पदस्थानी अधिकृत, प्रतिनिधि शामिल होंगे (द्वितीय पक्ष), के मध्य निष्पादित हुआ।

यह कि मोरगेजकर्ता / (ऋणी) नीचे अनुसूची में दर्ज प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति (जिसका कि पूर्ण विवरण अंकित है) का पूर्ण स्वामी है एवं मोरगेजी (बैंक) अनुसूची में दर्ज प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति को साम्यिक बंधक रखकर मोरगेजर (ऋणी) को अंकन (शब्दों में.....) प्लॉट / फ्लैट / भवन निर्माण हेतु ऋण देने को सहमत हुआ है। मोरगेजर, मोरगेजी द्वारा ऋण स्वीकृति के उपरान्त ऋण की ब्याज एवं अन्य शुल्कों की नियमित रूप से निर्धारित मासिक किस्तों में अदायगी करेगा।

अब यह मोरगेज डीड निम्न बात का साक्षी है:-

1. मोरगेजर के आवेदन पत्र एवं निष्पादित प्रलेखों के क्रम में मोरगेजी (बैंक) प्लॉट / फ्लैट / भवन निर्माण ऋण हेतु अंकन (शब्दों में)..... देगा। एवं मोरगेजर द्वारा बैंक के साथ प्लॉट / फ्लैट / भवन निर्माण ऋण हेतु निष्पादित एग्रीमेंट के अनुरूप नियमों, शर्तों, प्रतिबन्धों का पालन करते हुए ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्कों की समय से अदायगी करेगा। ऋण दिये जाने के प्रति फलस्वरूप मोरगेजर द्वारा निम्न अनुसूची में दर्ज प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति को साम्यिक बंधक किया जा रहा है।
2. मोरगेजर इस बात के लिए सहमत है कि बंधक रखी जाने वाली सम्पत्ति का पूर्ण बाजारी कीमत पर बैंक क्लॉज के अन्तर्गत किसी भी हानि अथवा बर्बादी, जो कि आग, भूकम्प, आदि से हो सकता है, से बीमा करायेगा। बीमा का पूर्ण खर्च मोरगेजर द्वारा वहन किया जायेगा। यदि मोरगेजर द्वारा समय से बीमा नहीं कराया जायेगा तो बैंक द्वारा बंधक रखी हुयी सम्पत्ति का बीमा कराते हुए मोरगेजर के खाते को डेविट किया जायेगा एवं मूल पालिसी बैंक की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जायेगी।
3. मोरगेजर द्वारा बैंक ऋण से जो सम्पत्ति सृजित की जायेगी उस पर जो टैक्स बनेगा उसका नियमित भुगतान सम्बन्धित प्राधिकारी को पूर्ण ऋण अदायगी तक, जारी रखा जायेगा।
4. मोरगेजर विश्वास दिलाता है कि निम्न अनुसूची में दर्ज प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति, जिसको कि साम्यिक बंधक किया जा रहा है, पूर्ण रूप से सभी प्रकार से भारमुक्त है।

5. मोरगेजर निम्न अनुसूची में दर्ज प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति के किसी भी भाग को बैंक की पूर्व लिखित के अनुमति के न तो बेचेगा, न रहन रखेगा और न ही इस पर कोई जमानत देगा।
6. यदि मोरगेजर द्वारा बैंक के साथ किये गये करार, घोषणा पत्र, शपथ पत्र की किसी धारा / शर्त / नियम / प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है अथवा ऋण अदायगी की किसी निर्धारित मासिक किस्त के भुगतान में चूक की जाती है अथवा बैंक को अपने आचरण से कोई क्षति पहुँचायी जाती है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह निम्न अनुसूची में दर्ज प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति को बेचकर उससे दिए गये ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्कों की वसूली कर लें। मोरगेज कर्ता द्वारा इस कार्यवाही में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
7. मोरगेजकर्ता द्वारा मोरगेजी (बैंक) को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा कि बैंक प्रथमतः गारन्टर्स / सियोरिटीकर्ताओं से लिए गए ऋण की वसूली करे।
8. मोरगेजर द्वारा प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति हेतु बैंक से लिए गये ऋण, ब्याज एवं अन्य शुल्कों की पूर्ण अदायगी के उपरान्त मोरगेजी (बैंक) द्वारा निम्न अनुसूची अनुसार सामयिक बंधक रखे गये प्लॉट / फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति को मोरगेजर के पक्ष में अवमुक्त / भारमुक्त किया जायेगा।
9. मोरगेजर एवं मोरगेजी द्वारा यह दि० को उपरोक्त बिन्दुओं / सहमतियों पर मोरगेज डीड निष्पादित की गयी।

अनुसूची

प्लॉट नम्बर / फ्लैट नम्बर सैक्टर नम्बर.....

कालोनी का नाम.....

शहर/कस्बा.....

जिला.....

सम्पत्ति का विवरण.....

.....

पूर्व में पश्चिम में..... उत्तर में.....

दक्षिण में..... उक्त सम्पत्ति उपनिबन्धक..... कार्यालय में दिनांक

..... को बही सं०..... जिल्द सं०..... पृष्ठ सं०.....

से तक..... पर क्रमांक.....

पर रजिस्ट्रीकृत है।

मोरगेजकर्ता

हस्ताक्षर साक्षी

नाम व पता.....

मोरगेजर(बैंक)

के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर साक्षी

नाम व पता.....

नाम मात्रिक सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

शाखा प्रबंधक

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

शाखा.....

महोदय,

मैं, आपकी संस्था, जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद, जो कि उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निबन्धित सहकारी संस्था है, का नाम मात्रिक सदस्य बनना चाहता हूँ। इसके लिये मैं निर्धारित शुल्क अंकन 10.00 रूपये जमा कर रहा हूँ।

मैं, उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 द्वारा, नाम मात्रिक सदस्यता हेतु, निर्धारित सभी पात्रतायें रखता हूँ, एवं वचन देता हूँ कि उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं उ० प्र० सहकारी समिति विनियमावली 1968 एवं आपके बैंक उपविधि (बायलाज) द्वारा निर्धारित शर्तों, उपबन्धों एवं निर्देशों का पालन करूँगा। मेरा सूक्ष्म विवरण निम्नवत है।

1- आवेदक का नाम

2- पिता का नाम

3- आयु

4- व्यवसाय

5- पूर्ण पता

दिनांक:

हस्ताक्षर

आवेदक

नाममात्रिक सदस्यता स्वीकार की गयी।

वास्ते जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

शाखा.....

जिला सहकारी बैंक लि०, गाजियाबाद

शाखा प्रबंधक की मूल्यांकन आख्या

(विवरण स्थलीय परीक्षण के आधार पर प्रस्तुत करना है)

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. स्थायी पता.....
.....
4. वर्तमान/पत्राचार का पता.....
.....
5. यदि आवेदक सरकारी / सहकारी / शिक्षण संस्थान / स्थानीय निकाय में स्थायी कर्मचारी है तो:-
 - क. वर्तमान तैनाती का पता.....
.....
 - ख. कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम.....
 - ग. सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि.....
 - घ. सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष माह.....
 - ङ. प्रस्तावित ऋण की धनराशि
 - च. ऋण वापसी हेतु माह की संख्या (पूर्ण ऋण अदायगी सेवा निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व हो जानी चाहिए)
.....
 - छ. मासिक किस्त की धनराशि.....
 - ज. कुल मासिक परिलब्धियाँ.....
 - झ. कुल मासिक कटौतियाँ.....
 - ट. प्रस्तावित ऋण की मासिक किस्त.....
 - ठ. प्रस्तावित ऋण की मासिक किस्त को जोड़ते हुए कुल मासिक कटौती (झ+ट)
 - ढ. कुल भुगतान योग्य धनराशि (ज-ठ)
 - ण. प्रस्तावित ऋण की मासिक किस्त को जोड़ते हुए कुल मासिक कटौतियों का प्रतिशत.....
कुल कटौतियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - त. सेवायोजक का पदनाम.....
 - थ. सेवायोजक का पता.....
6. यदि आवेदनकर्ता निजी क्षेत्र (प्राइवेट) सेवा में सेवारत है तो -
 - क. सेवायोजक का पदनाम.....
 - ख. सेवायोजक का पता.....

- ग. आवेदनकर्ता को अद्यतन माहमें मिल रही कुल परिलब्धियाँ
(वेतन / स्लिप संलग्न करें)
- घ. कुल कटौतियों.....
- ङ. कुल भुगतान योग्य धनराशि.....
- च. अद्यतन आयकर विवरणी..... के अनुसार आवेदक की कुल परिलब्धियाँ
- छ. आयकर विवरणी संलग्न करें/(फार्म-16).....
- 7 यदि आवेदनकर्ता व्यवसायी है तो-**
- क. आवेदनकर्ता के व्यवसाय का नाम.....
- ख. व्यवसाय स्थल का पता.....
- ग. व्यवसाय से वार्षिक आमदनी
- घ. (व्यापार कर कार्यालय की बिक्री कर विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें)
- ङ. अद्यतन वित्तीय वर्ष के अनुसार कुल आय.....
(आयकर विवरणी संलग्न करें)
- च. कुल आयकर कटौती.....
- 8. प्लॉट / फ्लैट / आवास भवन निर्माण हेतु ऋण के वास्ते रखी जाने वाली प्रस्तावित कोलेटरल सिक्क्योरिटी का विवरण:-**
- क. सम्पत्ति का विवरण:-
- i. प्लॉट/फ्लैट के स्वामी का नाम.....
- ii. प्लॉट/फ्लैट प्राधिकृत वस्ती में है अथवा नहीं.....
- ग. उप निबन्धक कार्यालयमें दिनांक..... की बही सं०..... जिल्द सं०..... पृष्ठ सं०..... से तक पर क्रमांक..... पर रजिस्ट्रीकृत है।
- घ. आवासीय सम्पत्ति का क्षेत्रफल.....
- ङ. सम्पत्ति का पता.....
- च. पूर्व..... पश्चिम.....
उत्तर..... दक्षिण.....
- छ. यदि सम्पत्ति प्लॉट / फ्लैट है, तो उसका मूल्य (i) सर्किल रेट.....
(ii) बाजारी रेट.....
- ज. यदि उपरोक्त सम्पत्ति कहीं रहन रखी गयी है तो विवरण अंकित करें.....
- झ. आवेदक की साख एवं हैसियत के सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक की आख्या.....

-
-
-
- ट. प्रथम गारन्टर के सम्बन्ध में आख्या
- (i). गारन्टर का नाम.....
- (ii). पता.....
-
- (iii). गारन्टर की उम्र.....
- (iv). गारन्टर का व्यवसाय.....
- (v). गारन्टर यदि सेवायोजित है तो नियोक्ता का पदनाम व पता.....
-
- (vi). गारन्टर के स्वामित्व में अचल सम्पत्ति का विवरण.....
- (vii). अचल सम्पत्ति का मूल्य.....
- (viii). मूल्य आकलन का आधार.....
- गारन्टर की हैसियत की उपयुक्तता के संदर्भ में शाखा प्रबंधक की टिप्पणी.....
-
-
- (ix). द्वितीय गारन्टर के सम्बन्ध में आख्या
- (x). गारन्टर का नाम.....
- (xi). पता.....
-
- (xii). गारन्टर की उम्र.....
- (xiii). गारन्टर का व्यवसाय.....
- (xiv). गारन्टर यदि सेवायोजित है तो नियोक्ता का पदनाम व पता.....
-
-
- (xv). गारन्टर के स्वामित्व में अचल सम्पत्ति का विवरण.....
- (xvi). अचल सम्पत्ति का मूल्य.....
- (xvii). मूल्य आकलन का आधार.....
- गारन्टर की हैसियत की उपयुक्तता के संदर्भ में शाखा प्रबंधक की टिप्पणी.....
-
-
-

उपरोक्तानुसार आवेदक एवं गारन्टरों के सम्बन्ध में एवं उनके स्वामित्व में उपलब्ध

सम्पत्तियों तथा आवेदक द्वारा ऋण के सापेक्ष दी गयी कोलेटरल सिक्योरिटी का स्थलीय परीक्षण, अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौके पर जाकर किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, आवेदनकर्ता की साख एवं हैसियत आवेदनकर्ता की कोलेटरल सिक्योरिटी तथा दोनों गारन्टरों की प्रस्तावित ऋण की गारन्टी हेतु उपयुक्तता एवं आवेदक एवं गारन्टर कर्ताओं द्वारा बैंक के साथ निष्पादित किये गये अभिलेखों एवं शपथ पत्रों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का पूर्ण समाधान हो गया है कि श्री..... पुत्र श्री..... (आवेदक) को प्रस्तावित प्लॉट / फ्लैट / भवन निर्माण हेतु ऋण अंकन (शब्दों में)..... दिया जाना बैंक हित में है।

अतः आवेदक के आवेदन पत्र, उसके वचन पत्र, घोषणा पत्र, नियोक्ता के द्वारा दी गयी ऋणी के सम्बन्ध में मैमोरम आफ अण्डरटेकिंग (सरकारी, सहकारी, शिक्षण संस्थाओं एवं स्थानीय निकाय के सम्बन्ध में अनुमन्य) ऋण के सापेक्ष कोलेटरल सिक्योरिटी की उपयुक्तता, गारन्टरों के गारन्टी एग्रीमेन्ट, शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों के परिपेक्ष्य में, आवेदक की पात्रता, आवासीय ऋण हेतु नियमावली के अन्तर्गत सुनिश्चित करते हुए श्री..... पुत्र..... को अंकन (शब्दों में)..... प्लॉट / फ्लैट / भवन निर्माण हेतु ऋण दिए जाने की संस्तुति की जाती है। ऋण की अदायगी प्रचलित ब्याज दर पर..... मासिक किस्तों में किया जाना उपयुक्त रहेगा। मासिक किस्त अंकन (शब्दों में)..... प्रतिमाह प्रस्तावित है।

दिनांक

हस्ताक्षर कैशियर

हस्ताक्षर शाखा प्रबंधक